मुख्य अभियंता–2,(गया) का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार ।

पत्रांक– मु0अ0–2 / निविदा–09–36 / 25 . 853 पटना, दिनांक– 31.05.25

प्रेषक

ई0 अनिल कुमार
मुख्य अभियंता–2 (गया)
ग्रामीण कार्य विभाग,

सेवा मे

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, गया ।

विषय – ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया के अधीन शीर्ष 4515 MMGSUY (RRSMP) अन्तर्गत पैकेज संख्या–RRSMP/24-25-Gaya/02 (टेन्डर आई0डी0–139084) का पथ नवीनीकरण / उन्नयन / पुनर्निर्माण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल 7 वर्ष अवधि तक) कार्य के निविदा के वित्तीय बीड के संबंध मे।

प्रसंग – विभागीय पत्रांक–मु0अ0 (अ0उ0)–4515–01–791 / 2025 पार्ट–1–2013 अनु0 पटना, दिनांक–28.05.2025

Rajesh 02/06/25

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक मे सूचित किया जाता है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया के अधीन शीर्ष 4515 MMGSUY (RRSMP) अन्तर्गत पैकेज संख्या–RRSMP/24-25-Gaya/02 (टेन्डर आई0डी0–139084) का पथ नवीनीकरण / उन्नयन / पुनर्निर्माण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल 7 वर्ष अवधि तक) आपके एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया के अनुशंसा पर सफल न्यूनतम दर निविदाकार M/S Sidhnath Construction (Bid ID-609180) को उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की दर / राशि से –18.05 (अठ्ठारह दशमलव शून्य पाँच) प्रतिशत कम पर अर्थात 11,10,80,552 (ग्यारह करोड दस लाख अस्सी हजार पाँच सौ बावन) रूपये मात्र पर आवंटित किया जाता है ।

इस निविदा के निष्पादन पर अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के विभागीय पत्रांक–मु0अ0 (अ0उ0)–4515–01–791 / 2025 पार्ट–1–2013 अनु0 पटना, दिनांक–28.05.2025 के द्वारा विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

Jitendra ji 03.6.25

2 निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य मे पूर्वाधारण नही होगा।

3. संवेदक के द्वारा निविदा के साथ अग्रधन के रूप मे जमा किये गये राशि एवं एकरारनामा के लिए जमा की गई बैंक गारन्टी का सत्यापन कराकर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित किया जायेगा।

4 Bid Validity की वैधता की जाँच के उपरान्त ही एकरारनामा सुनिश्चित किया जाय।

5 एकरारनामा के पूर्व निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातो की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाय एवं साथ मे इसकी भी जाँच कर ली जाय की संवेदक का नाम डीबार / काली सूची मे सम्मिलित नही है।

6 अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता अग्रेतर कार्रवाई से पूर्व भली भाँति आश्वस्त हो लेगे कि पथ का हस्तांतरण हेतु विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नही किया गया है।

7 कार्य मे व्यवहृत सामग्रियो का दर प्राक्कलन मे स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है, कार्य कराते समय अगर इसमे कमी पाई जाती है तो उसके दर मे सापेक्ष कमी कर दी जायेगी।

8 इस कार्य के संबंध मे ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना मे उल्लिखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्त मे जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।

9 अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक बिन्दु की जाँच अपने स्तर से स्वयं कर लेगे एवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति मे वस्तुस्थिति से तत्क्षण अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेगे। त्रुटि के सुधारोपरान्त एकरारनामा की कार्रवाई की जायगी।

10 एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जाच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेगे एवं यह सुनिश्चित करेगे कि इसमे कोई त्रुटि न हो।

Scanned with OKEN Scanner

11 कार्यारंभ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन मे किये गये उपबंध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्राविधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप मे दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

12. कार्यादेश निर्गत करने से पहले संबंधित संवेदक से एकरारित अवधि के अन्दर कार्य समाप्त करने हेतु विस्तृत मदवार कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर ही एकरारनामा किया जाय।

13 अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि के अंदर पूरा की जाय।

14 कार्यपालक अभियंता कार्य आवंटित किये गये संवेदक से 10 दिनो के अन्दर एकरारनामा कराना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनके अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाय।

15. इस कार्य का व्यय शीर्ष 4515 MMGSUY (RRSMP) से विकलित होगा।

16 यदि सफल निविदादाता विभाग मे निबंधित नही है तो एकरारनामा के पूर्व उन्हें विभाग मे विधिवत निबंधन कराना आवश्यक होगा।

17 संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि यह कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नही है एवं किसी अन्य एजेन्सी के द्वारा इसका कार्य नही कराया जा रहा है।

18 एकरारनामा से पहले निविदाता द्वारा दिये गये कागजात का सत्यापन उनके मूल कागजात से मिलान कर ली जाय।

19 इस निविदा की राशि मे अगर कोई अंतर होता है तो इसकी सूचना तुरन्त इस कार्यालय को दी जाय।

20 कार्यपालक अभियंता एकरारनामा करने के पूर्व संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता, दूरभाष संख्या (मोबाईल नम्बर) एवं ईमेल आई०डी० कार्यादेश मे अंकित करेंगे तथा इस कार्यालय को सूचित करेंगे।

21. परिमाण विपत्र की दर से कम दर उद्धृत करने वाले संवेदक से विभाग द्वारा पूर्व मे निर्गत दिशा निदेश के आलोक मे अतिरिक्त वांछित परफॉरमेंस सिक्यूरिटी की राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

22. किसी भी परिस्थिति मे निजी जमीन पर निर्माण नही कराया जाय।

23 प्रत्येक 15 दिनो पर संवेदक से स्वहस्ताक्षरित विपत्र प्राप्त कर स्थल से मिलान कर मापी पुस्तिका मे मापी दर्ज कर भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

24. एकरारनामा से पूर्व नियमानुसार Character Certifate and GST Clearance Certifate प्राप्त कर लेंगे। इसका प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे।

25. कार्य के कार्यान्वन में JV के सभी भागीदार की भागीदारी निविदा मे दिये गये JV Agreement के अनुरूप होनी चाहिए। इसमे किसी भी प्रकार का फेरबदल की स्थिति मे सक्षम प्राधिकार के अनुमति प्राप्त करेंगे।

26. निविदा मे यंत्र-संयंत्र एवं अभियंताओ के संबंध मे दिये गए शपथ के अनुसार एकरारनामा करने से पहले इनके कागजात की जाँच कर लेंगे। कार्य स्थल पर यंत्र-संयंत्र एवं अभियंता की तैनाती सुनिश्चित करायेंगे। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण के क्रम मे यदि यंत्र-संयंत्र एवं अभियंता की तैनाती मे कमी पायी जायेगी तो नियमानुसार संवेदक पर कार्रवाई सुनिश्चित किया जायेगा।

27 विभागीय पत्रांक मु०अ०-2/निविदा-05-208/24 पटना दिनांक 29.01.2024 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

28. संवेदक के चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध मे निर्गत विभागीय पत्रांक-14/अ०प्र०-03-21/2021-489 अनु० दिनांक-28.01.2021 को अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

29. प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही मे दिए गए निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 20.1.24

मुख्य अभियंता-2 (गया)

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया।

ज्ञापांकः–......1061.....   गया / दिनांकः–02/06/2025

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02-06-25

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,कार्य अंचल, गया।

E-mail
03/06

Scanned with OKEN Scanner